प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 444/वि0कार्य0/लो0ग्रा0आ0/2013 दिनांक 6 मार्च, 2013

विषयः– लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः–107/38–4–2013–05 (बजट)/2012, दिनांक 20.02.2013 तथा इस कार्यालय के परिपत्र संख्याः–जी0ओ0–54/वि0का0/लो0ग्रा0आ0/2012–13, दिनांक 22.02.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2013 को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सभी जनपदों में निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है:–

1– जनपद के सभी गांवों में सर्वेक्षणोपरांत पात्र लाभार्थियों की संख्या (डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों की अलग तथा अन्य ग्रामों की अलग)विशेष वाहक के माध्यम से विलम्बतम दिनांक 12.03.2013 सायं 4.00 बजे तक इस कार्यालय के योजनाधिकारी को उपलब्ध कराएं।

2– लीड बैंक मैनेजर के साथ बैठक कर चिन्हित लाभार्थियों के खाते समय से खुलवा लिए जाए। यदि खातें पूर्व से खुले हुए हैं, तो उनका सूचीबद्ध किया जा सकता है।

3– चिन्हित सभी लाभार्थियों की आय संबंधी सत्यापन हेतु उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विकास खण्डों से प्राप्त सूची का उप जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए उनकी आय प्रमाणित कर तत्काल विकास खण्डों को सूची उपलब्ध कराई जाए।

4– तहसील से प्राप्त आय सत्यापन के पश्चात सूची ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़कर सुनायी जाए और कोई विचलन हो, तो उसका संज्ञान लेते हुए पुनः पुष्टि करा ली जाए। तत्पश्चात शासनादेश के अनुसार आरोही क्रम में सूचना ग्राम पंचायत में चस्पा की जाए।

5– पात्र लाभार्थियों की अंतिम चयन के पश्चात लाभार्थियों की सूची मा0 सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

6– सूची ग्राम पंचायतों में चस्पा करते समय पारदर्शिता की दृष्टि से उसकी फोटोग्राफी कर लिया जाना भी उचित होगा।

7– योजनान्तर्गत 03 बिन्दु अत्यंत महत्वपूर्ण है:–

(क)– पारदर्शिता।

(ख)– समयबद्धता।

(ग)– वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व लाभार्थियों के खातों में धनराशि का हस्तान्तरण।

आप अवगत ही हैं कि यह योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। अतः पूर्ण संवेदनशीलता के साथ इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए तथा नियमित रूप से अनुश्रवण एवं सत्यापन भी कराया जाए।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक– /वि0कार्य0/लो0ग्रा0आ0/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास,उ0प्र0।
2– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त योजनाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।